रजि० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935
No. 1684] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ASADHA 27, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013

का.आ. 2190(अ).—चूंकि केन्द्र सरकार ने, मोटलों से संबंधित मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार मोटलों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में, अधिसूचना सं. का.आ. 2555 (अ) दिनांक 26-10-2012 की तालिका 5.4 : विकास नियंत्रण-व्यावसायिक केन्द्रों के अंतर्गत क्र. सं. 2 के उप-पैरा (i) "अन्य नियंत्रण" में एतद्द्वारा आंशिक संशोधन करती है। यह भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. मोटलों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना सं. का.आ. 2555 (अ) दिनांक 26-10-2012 की तालिका 5.4 : विकास नियंत्रण-व्यावसायिक केन्द्रों के अंतर्गत क्र. सं. 2 के उप-पैरा (i) "अन्य नियंत्रण" का संशोधित पाठ निम्नानुसार है :—

"भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 550 (अ) दिनांक 16-06-1995 एवं भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 04-03-2002 को जारी मोटल दिशानिर्देशों के अनुरूप 07-02-2007 को या उससे पहले यथा अनुमोदित संस्वीकृत प्लान में निर्दिष्ट प्लॉट क्षेत्रफल पर अधिकतम 175 तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) अनुमत होगा।"

[फा. सं. के-20013/10/2007-डीडी-I (Vol. IV)]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2013

S.O. 2190(E).—Whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter related to motels, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes partial modifications in the Sub-para (i) "Other controls" of S.No. 2 under Table 5.4: Development Controls-Commercial Centres of Notification S.O. 2555 (E) dated 26-10-2012 regarding modifications in the Master Plan for Delhi-2021 with respect to Motels, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

2. The modified text of Sub-para (i) "Other controls" of S.No. 2 under Table 5.4: Development Controls-Commercial Centres of Notification S.O. 2555 (E) dated 26-10-2012 regarding modifications in the Master Plan for Delhi-2021 with respect to Motels, is as under:

> "Maximum 175 FAR shall be permissible on the plot area disclosed in the sanctioned plan approved on or before 07.02.2007 in conformity with Government of India Notification S.O. 550 (E) dated 16-06-1995 and motel guidelines issued by Government of India, MoUD on 04.03.2002."

[F. No. K-20013/10/2007-DD-I (Vol. IV)]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.